न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. फगलूराम पुत्र प्रहलादराम		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप

2. हाजारीराम पुत्र प्रहलादराम
3. रामकिशन पुत्र प्रहलादराम–**फौत**
के कायम मुकाम –
3/1 गंगा पत्नी रामकिशन
3/2 अर्जुनराम पुत्र रामकिशन
3/3 पूनमचन्द पुत्र रामकिशन
4. कालूराम पुत्र प्रहलादराम–**फौत**
के कायम मुकाम–
4/1 हंजू पत्नी कालूराम
4/2 मांगीलाल पुत्र कालूराम
4/3 ओप्रकाश पुत्र कालूराम
4/4 मनोहरी पुत्री कालूराम
4/5 रमकू पुत्री कालूराम
सर्व जाति विश्नोई निवासीयान ग्राम नेवा, कानासर
तहसील बाप जिला जोधपुर हाल निवासीयान
ग्राम जालूवाला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर (राज0)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 164/2018

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 13/03/2020

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि वक्त बन्दोबस्त खातेदार कौशला पुत्र थाना, बरसिंगा पुत्र सांवता, सकता, पांचा पि. गुलाबा 3/4 हिस्सा, प्रहलाद पुत्र गुलाबा 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा इसी अनुरूप संवत 2017 से 2020 तक तथा संवत 2023 से 2028 तक की जमाबंदियों में दर्ज होता रहा। प्रार्थीगण खातेदार प्रहलाद पुत्र गुलाबा जो उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1073 के 1/4 हिस्से के दर्ज खातेदार काश्तकार थे के प्रार्थीगण विधिक वारिसान है तथा खातेदार प्रहलाद फौत हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2038 तक दर्ज होता रहा लेकिन आगे के चौसाला बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश, गलती से उपरोक्त वर्णित भूमि के 3/4 हिस्से के खातेदार कौशला वगैरा के नाम दर्ज करके उनका राजस्व रेकार्ड में 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया लेकिन प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का नाम तथा उनका 1/4 हिस्सा विलोपित कर दिया। ऐसा करने का राजस्व कर्मचारियों को कोई विधिक अधिकार नहीं होने से तथा इस प्रकार की

राजस्व रेकार्ड की गलती कभी भी सुधारी जा सकती है। जमाबंदी संवत 2038 से आगे की समस्त राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों के खसरा नम्बर 1073 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा भूमि में केवल मात्र 3/4 हिस्से के खातेदारों का नाम उनके हिस्से सहित दर्ज होता रहा लेकिन प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का नाम तथा उसका 1/4 हिस्सा चलते–चलते रेकार्ड से बिना कोई वजह से गायब कर दिया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थीगण के पूर्वज का नाम व हिस्सा विलोपित करने का कोई अधिकार नहीं होने से राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केवल मात्र 3/4 हिस्सा तथा इसके खातेदारों के नाम दर्ज है लेकिन 1/4 हिस्सा तथा इस हिस्से के खातेदारों का नाम विलोपित है। इसलिये प्रार्थीगण अपने 1/4 हिस्सा में नाम दर्ज करवा कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2039–2042 तथा बाद के समस्त राजस्व रेकर्ड में विलोपित हुए 1/4 हिस्सा तथा उस हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है, जो शामिल मिसल किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि वक्त बन्दोबस्त खातेदार कौशला पुत्र थाना, बरसिंगा पुत्र सांवता, सकता, पांचा पि. गुलाबा 3/4 हिस्सा, प्रहलाद पुत्र गुलाबा 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा इसी अनुरूप संवत 2017 से 2020 तक तथा संवत 2023 से 2028 तक की जमाबंदियों में दर्ज होता रहा। प्रार्थीगण खातेदार प्रहलाद पुत्र गुलाबा जो उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1073 के 1/4 हिस्से के दर्ज खातेदार काश्तकार थे के प्रार्थीगण विधिक वारिसान है तथा खातेदार प्रहलाद फौत हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2038 तक दर्ज होता रहा लेकिन आगे के चौसाला बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश, गलती से उपरोक्त वर्णित भूमि के 3/4 हिस्से के खातेदार कौशला वगैरा के नाम दर्ज करके उनका राजस्व रेकार्ड में 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया लेकिन प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का नाम तथा उनका 1/4 हिस्सा विलोपित कर दिया। उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केवल मात्र 3/4 हिस्सा तथा इसके खातेदारों के नाम दर्ज है लेकिन 1/4 हिस्सा तथा इस हिस्से के खातेदारों का नाम विलोपित है। इसलिये प्रार्थीगण अपने 1/4 हिस्सा में नाम दर्ज करवा कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती किये जाने आदेश फरमावे।

अप्रार्थी ने भी उपस्थित हो कर बताया की वर्तमान राजस्व रेकर्ड में से विलोतिप 1/4 हिस्सा तथा उस हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075, 2017 से 2020, 2023 से 2026, 2039 से 2042, 2044 से 2047 व 2048 से 2051का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर

[illegible] मूल खातेदार कौशला पुत्र थाना, बरसिंगा पुत्र सांवता, सकता, पाचा पि. गुलाबा 3/4 हिस्सा, प्रहलाद पुत्र गुलाबा 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा इसी अनुरूप संवत 2017 से 2020 तक तथा संवत 2023 से 2028 तक की जमाबंदियों में दर्ज होता रहा। प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2038 तक दर्ज होता रहा लेकिन आगे के चौसाला बनाते समय राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश, गलती से उपरोक्त वर्णित भूमि के 3/4 हिस्से के खातेदार कौशला वगैरा के नाम दर्ज करके उनका राजस्व रेकार्ड में 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया लेकिन प्रार्थीगण के पूर्वज प्रहलाद पुत्र गुलाबा का नाम तथा उनका 1/4 हिस्सा विलोपित कर दिया। इन तथ्यों की ताहिद भी सरकारी पैरोकार ने अपने जवाब में की है तथा सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने अनुशंषा की है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में भूमि प्रार्थीगण अपने 1/4 हिस्सा में नाम दर्ज करवा कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। अतःप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1073 रकबा 91 बीघा 06 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

उप खण्ड अधिकारी बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.08.07 13:02:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: